बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

बृहस्पतिवार, तिथि १८ फरवरी १९६०।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बृहस्पतिवार, तिथि १८ फरवरी १९६० को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers.

CONSTRUCTION OF STAFF QUARTERS.

30. Shri HARICHARAN SOY : Will the Chief Minister be pleased to st.te whether it is a fact that in the meeting of Block Development Committee, Kherswan Block No. 2, Singhbhum held in the month of December, 1959 a decision was taken that the Office building and the staff quarters be constructed immediately : if so, what concrete steps have been taken for the same up till now?

*श्री दारोगा प्रसाद राय—१९५८-५९ में बहुत बार निविदा (टेंडर) मांगा गया परन्तु कोई टेंडर नहीं पड़ा क्योंकि इस स्थान में आवागमन की दिक्कत है। जब सभी कोशिशें विफल हुई तब १९५९ के मार्च में विभाग द्वारा काम करने के लिये सुपुर्द किया गया। मकान के दीवाल में ईंटों की जुड़ाई हो रही है।

*श्री हरि चरण सोय—अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जवाब में कहा है कि आवागमन की तकलीफ है तो क्या सरकार इस चीज को जानती है या नहीं कि जिस जगह यह बिल्डिंग बनाने की बात है वह पी० डब्लू० डी० के रोड-साइड में है?

श्री दारोगा प्रसाद राय—माननीय सदस्य वहाँ के ब्लॉक डेव्हलपमेंट कमिटी वगैरह के सदस्य हैं और यह जानते हैं कि खरसांवा एक बैकवार्ड एरिया है। वहाँ कई बार टेंडर मांगा गया लेकिन कोई टेंडर देनेवाला ही नहीं मिला। जहाँ टेंडर पड़ता है, वहाँ पचासों आदमी टेंडर देते हैं और लोएस्ट टेंडर पड़ने की सम्भावना रहती है लेकिन यहाँ बैकवार्ड एरिया होने की वजह से टेंडर नहीं पड़ा।

श्री हरि चरण सोय—क्या सरकार जानती है कि यह आखिरी स्टेज है ब्लॉक का और इस आखिरी स्टेज के पहले क्या मकान तैयार हो जायगा?

अध्यक्ष—अगर स्टैंडिंग क्राप रहता है तो उसके लिए कंपेन्सेशन दिया जाता है।

श्री केदार पांडे—जी हां, अगर क्राप उसमें रहता तो उसके लिए क्राप कंपेन्सेशन दिया जाता। लेकिन इटरेस्ट तो उसी तारीख से ही मिलेगा जिस दिन से यह जमीन ले ली गयी है।

श्री रामानन्द तिवारी—तो इसका क्या कारण है कि बिना जमीन को एक्वायर किये और बिना मुआवजा तय किये ही काम शुरू कर दिया गया ?

श्री केदार पांडे—शुरू में लोगों का यह तकाजा था कि बांध बनवाने का काम जल्द-से-जल्द शुरू कर दिया जाय और बाद में लैंड एक्वीजीशन का काम होगा और इस तरह काम में हाथ पहले लग गया।

PROMOTION.

A—36. **Shri YOGENDRA PD. SHRIVASTAVA :** Will the Co-operative Minister be pleased to state—

(1) whether it is a fact that the promotions to the rank of Inspector, Co-operative Society and Organisers, Cane-growers' Co-operative Societies are made from the rank of Supervisors of Co-operative Societies and Cane Co-operative Societies, respectively, on the basis of joint gradation list ;

(2) whether it is a fact that till recent past promotions from the rank of Supervisors to the rank of Inspectors, Co-operative Societies and Organisers, Cane-growers' Co-perative Societies have been done on the basis of experience and seniority and service records ;

(3) whether it is a fact that all on a sudden, the Supervisors of general Co-operative and Cane Co-operative Societies have been called for an interview and written test for promotion purposes on 14th February 1960 ;

(4) if the answer to the above clauses be in the affirmative, will the Government stick to the previous procedure of promotion on seniority and service records ?

A—In the absence of the member the answer was given at the request of Shri Ramanand Tiwari.

श्री देवनारायण यादव—(१) सहयोग समितियों के निरीक्षक और ईखोत्पा

सहयोग समितियों के औरगनाइजर के पदों पर पदोन्नति द्वारा बहाली स्थानीय अंकेक्षकों, सहयोग समितियों और ईखोत्पादक सहयोग समितियों के पर्यवेक्षकों, बैंकों के कर्मचारियों तथा इस विभाग के कार्यालयों में काम करने वाले सहायकों के पदों से पहले हुआ करता था। परन्तु अनुभव के आधार पर गत वर्ष यह निर्णय हुआ कि ईखोत्पादक तथा सामान्य सहयोग समितियों के पर्यवेक्षकों को ही उनके संयुक्त कोटि क्रम सूची के आधार पर और योग्यता अनुसार पदोन्नत किया जाय।

(२) यह बात सही है कि सामान्य एवं ईखोत्पादक सहयोग समिति के पर्यवेक्षकों की पदोन्नति सहयोग समितियों के निरीक्षकों के पदों पर उनके अनुभव, वरीयता, सेवा अभिलेखों के आधार पर पहले हुआ करता था।

(३) यह बात सही नहीं है कि एकाएक इस बात का निश्चय किया गया कि सामान्य सहयोग समितियों और ईखोत्पादक सहयोग समितियों के पर्यवेक्षकों को पदोन्नति के लिए साक्षात्कार और लिखित परीक्षण के लिए १४ फरवरी १९६० को बुलाया जाय। इस विषय पर चुनाव समिति जिसके निबंधक, सहयोग समिति, बिहार, उप-विकासायुक्त, बिहार और संयुक्त निबंधक (ईखोत्पादक सहयोग समिति) सदस्य हैं, ने पूर्ण रूप से विचार-विमर्श करके फैसला किया कि जिन पर्यवेक्षकों की सेवा पुस्तक संतोषजनक हैं उनकी एक योग्यता लिखित परीक्षा न कि प्रतियोगिता परीक्षा ली जाय तथा इसमें जो पर्यवेक्षक योग्य पाए जायं उन्हें साक्षात संभाषण के लिये बुलाया जाय ताकि अन्तिम चुनाव हो सके। यह निर्णय इसलिए किया गया कि जितने पर्यवेक्षकों को अभी तक पदोन्नत किया जा चुका है उनमें से अनेकों निरीक्षक के कार्य के लिए अयोग्य सिद्ध हुए हैं।

(४) खंड (३) के उत्तर के पश्चात् इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री रामानन्द तिवारी—मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि १४ फरवरी १९६० को सुपरवाइजरों को सचिवालय में साक्षात और लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया था या नहीं।

श्री देवनारायण यादव—यह बात ठीक है कि १४ फरवरी १९६० को इंटरव्यू के लिए उन्हें खबर गई थी लेकिन किस केडर का इंटरव्यू होगा इसके बारे में कुछ गलतफहमी हुई। उनको बुलाने की जो बात थी उससे कम्पटिटिव टेस्ट से मतलब नहीं था बल्कि वह एक तरह का क्वालिफाईंग टेस्ट था जो डिपार्टमेंट से सम्बन्ध रखता था।

श्री रामानन्द तिवारी—मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब विभाग की बात थी और तरक्की के लिए टेस्ट था तो फिर क्या कारण था कि ४ को छोड़कर सभी-के-सभी सुपरवाइजरों को बिना टेस्ट लिये वापस कर दिया गया।

श्री देवनारायण यादव—चार के सिवा सभी लोगों ने आप-से-आप टेस्ट को छोड़ दिया और चले गये।

श्री रामानन्द तिवारी—क्या मैं जान सकता हूँ कि कुल कितने लोग बुलाये गये थे और वे आप-से-आप छोड़कर चले गये इसका कारण क्या था।

श्री देवनारायण यादव—टोटल नम्बर ८६ था जिनमें ४ के सिवा बाकी सभी लोग टेस्ट को छोड़ कर चले गये। केन कओपरेटिव और जेनरल कोऑपरेटिव से सभी लोगों को बुलाया गया था लेकिन वे क्यों छोड़कर चले गये इसका कारण तो आपसे ही ज्यादा मालूम हो सकता है।

श्री रामानन्द तिवारी—मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार ने उन लोगों को आदेश दिया कि फलां तिथि को परीक्षा के लिए सचिवालय में आयें और उन्होंने सरकारी आदेश का पालन किया, लेकिन फिर वापस जाने का उन्होंने निर्णय किया और चले भी गये तो क्या उन्होंने इसका कुछ कारण बतलाया कि क्यों परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या यहां छोड़कर चले गये।

श्री देवनारायण यादव—लिखकर उन्होंने कुछ नहीं दिया कि क्यों छोड़कर हमलोग जा रहे हैं।

श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को स्थगित किया जाय और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसकी पूरी छानबीन स्वयं करके इसका उत्तर दें तो अच्छा होगा।

अध्यक्ष—आपको किस बात का उत्तर नहीं मिला ?

श्री रामानन्द तिवारी—हुजूर, मेरा प्रश्न है कि ८६ आदमी में केवल ४ उपस्थित हुए परीक्षा में और ८५ छोड़कर चले गये तो इसका कारण क्या था, इसका जवाब हमें नहीं मिला।

श्री जगत नारायण लाल—हुजूर, पहले कभी कम्पीटेटिव टेस्ट नहीं होता था यही कहकर वे चले गये। लेकिन हम इसे कम्पीटीटिव टेस्ट नहीं मानते हैं, यह क्वालिफाईंग टेस्ट है।

श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि कौन-सी परिस्थिति ऐसी आ गई कि सैकड़ों वर्ष से जो पद्धति रही है और परम्परा कायम की गई थी उसको छोड़कर नई पद्धति कायम करने का प्रयास किया गया जिसके प्रोटेस्ट में लोग चले गये।

*श्री जगत नारायण लाल—सैकड़ों वर्षों की बात तो दूर रही इतने दिनों से तो यह राज्य ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे उप-मंत्रीजी ने बतलाया है कि प्रोमोशन द्वारा पदोन्नति करने में देखा गया है कि लोग अयोग्य सिद्ध हुए हैं इसलिए तय किया गया कि जिन लोगों को प्रोमोशन के लिए चुना जाय उनका कैरेक्टर रोल देखकर उनका

क्वालिफाइंग टेस्ट कर लिया जाय। इसीलिए पर्यवेक्षकों को क्वालिफाइंग टेस्ट के लिए बुलाया गया। अनुभव के आधार पर ऐसा किया गया कि एक मिनिमम क्वालिफाइंग टेस्ट रखा जाय ताकि अयोग्य व्यक्ति का प्रोमोशन न हो सके।

अध्यक्ष—क्या यह काम करेक्टर रौल देखकर नहीं किया जा सकता ?

श्री जगत नारायण लाल—पहले ऐसे ही किया जाता था लेकिन वह ठीक नहीं साबित हुआ। इसके अलावे जितने ब्लौक्स हैं उनमें जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स हैं या और दूसरे विभागों के कर्मचारी हैं उन सबों का प्रोमोशन के लिए कम्पीटीटिव एक्जामिनेशन होता है। हमने तो यहां एक क्वालिफाइंग टेस्ट ही रखा है, इसलिए कोई प्रोटेस्ट की बात मालूम नहीं होती है।

श्री रामानन्द तिवारी—मैं सरकार से यह जानना चाहता हू कि ऐसे कितने लोग हैं जो पहले प्रोमोट किए गये हैं और फिर वे अयोग्य होने के चलते अवनत कर दिए गए।

अध्यक्ष—यह सवाल कैसे उठता है ?

श्री रामानन्द तिवारी—मंत्री जी ने कहा है कि पहले प्रोमोशन दिया गया तो उनमें लोग अयोग्य साबित हुए इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें तरक्की दी गयी और फिर अयोग्य समझे जाने पर अवनत कर दिए गए।

श्री जगत नारायण लाल—इसके लिए अलग नोटिस चाहिए। लेकिन ऐसा पूछकर माननीय सदस्य उन लोगों की मदद नहीं कर सकेंगे।

श्री रामानन्द तिवारी—हम मदद नहीं चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं।

(हल्ला)।

श्री जगत नारायण लाल—माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो इसके लिए अलग प्रश्न चाहिए।

Shri RAM CHARITRA SINHA : I rise on a point of order. Sir.

श्री जगत नारायण लाल—मैं अभी जवाब दे रहा हूं।

Shri RAM CHARITRA SINHA : I rise on a point of Order. The question was put and he has cast reflection against a member when he said

जिनको आप मदद करना चाहते हैं, यह एक्सप्रेशन ठीक नहीं है इसलिए उन्हें वापस लेना चाहिए।

श्री जगत नारायण लाल—मैंने ऐसा नहीं कहा है ।

Shri RAM CHARITRA SINHA : If he has said he should withdraw as he is attributing a motive to the hon'ble member.

Shri JAGAT NARAIN LAL : That was not the expression. If he tries to hear more than speak then he will follow things more correctly, I hope.

वे जो सवाल पूछ रहे थे कि कितने लोगों को प्रमोशन दिया गया है और बाद में अयोग्य पाए जाने के कारण पदच्युत कर दिया गया इसी के जवाब में मैंने कहा कि मैं प्रश्नकर्ता की मदद करना चाहता हूँ, इस पर प्रश्नकर्त्ता के द्वारा कहा गया कि मुझे मदद करने की ख्वाहिश नहीं है इस पर मैंने कहा कि इसके लिए अलग सवाल चाहिए ।

श्री रामानन्द तिवारी—आप अपने शब्द को वापस ले लें । हम इन्साफ चाहते हैं । इसको आप वापस लें ।

श्री जगत नारायण लाल—अध्यक्ष महोदय आदेश देंगे तो मैं एक सेकेंड के अन्दर वापस ले लूंगा ।

(आवाज: वापस लीजिए, वापस लीजिए ।)

मैं वापस लेता हूँ, फौरन वापस लेता हूँ। सारी दुनियां में अकल का ठीका हमारे पास नहीं है । सैंकड़ों भूल कर सकता हूँ । मैं फौरन वापस लेता हूँ । मैं अभी कह रहा था कि अलग सवाल पूछें तो जवाब दे दूंगा ।

श्री रामानन्द तिवारी—मैं जानना चाहता हूँ कि कितने ऐसे सुपरवाइजर....

अध्यक्ष—वे तो कह रहे हैं कि इसके लिए सूचना चाहिए ।

श्री रामानन्द तिवारी—इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इसे स्थगित कर दिया जाय ।

अध्यक्ष—अलग ही सवाल दे दें ।

श्री रामानन्द तिवारी—स्थगित कर दिया जाय, हुजूर।

अध्यक्ष—मैं स्थगित कर देता हूँ तो आप कहेंगे कि बहुत दिनों से स्थगित है ।

श्री रामानन्द तिवारी—नहीं कहूँगा, इसे स्थगित कर दिया जाय ।

अध्यक्ष—तो ठीक है, मैं इसे स्थगित कर देता हूँ। अल्प-सूचित प्रश्न संख्या ३६ स्थगित किया गया ।

श्री जगत नारायण लाल—मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी तक किसी को रिमर्ट नहीं किया गया है और यह लम्बा प्रॉसेस है.....

श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाएन्ट ऑफ आर्डर है। आपने जब इस प्रश्न को स्थगित कर दिया है और आपको रूलिंग हो चुकी है तब फिर मंत्री महोदय को इस प्रश्न पर बोलने का क्या अधिकार है ?

अध्यक्ष—स्थगित रहे, इसमें क्या है ?

तारांकित प्रश्नोत्तर।

Starred Questions and Answers.

ठीकेदारों को रुपये की चुकती।

२३३। श्रीमती शकुन्तला देवी अग्रवाल—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) जिला चम्पारन, थाना मोतिहारी के मोतिहारी अंचल के अन्तर्गत गोढ़वा पोखरा, छतौनी बाजार पोखरा, तथा बसन्तपुर पोखरा में से कितनी-कितनी मिट्टी काटी गयी है ;

(२) इन तीनों पोखरों के ठीकेदारों को कितना-कितना कुल रुपया किस रेट से पेमेन्ट किया गया ;

(३) ये तीनों पोखरे कम्पलीट हो गये हैं या अधूरे पड़े हैं ?

श्री दारोगा प्रसाद राय—(१) गोढ़वा पोखरा, छतौनी बाजार पोखरा एवं बंसतपुर पोखरा में क्रमशः १,४७,००० (एक लाख सैंतालीस हजार) घनफीट, ३,९७,५०० घनफीट, एवं ३,०३,७५० घनफीट मिट्टी काटी गई है।

(२) प्रखंड में ठीकेदारों से नहीं वरन् हेंडमैन द्वारा काम कराया गया एवं गोढ़वा पोखरा, छतौनी बाजार पोखरा एवं बंसतपुर पोखरा में उन्हें चार रुपया छः आने प्रति हजार घनफीट सरकारी अनुदान की दर क्रमशः ७७६ रु० ६२ नये पैसे, १,७८६ रु० ५० नये पैसे, एवं १,५३० रु० ७८ नये पैसे दिये गये।

(३) उपरोक्त कथित तीनों पोखरे नवम्बर, १९५९ के पहले ही कम्प्लीट हो चुके थे और उनका भुगतान भी हो चुका था।

*श्रीमती शकुन्तला देवी अग्रवाल—अगर पोखरे की खुदाई हुई है तो इनकी लम्बाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है ?